G20 **कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम**

नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड– 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष– 05946–220035

पत्रांक :– 1029/मार्केटिंग अनुभाग — दिनांक :– 19/8/25

सार्वजनिक ई–निविदा सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम द्वारा निम्नलिखित टू–बिट आधारित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	निविदा की तिथि	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
01	नगर निगम सीमान्तर्गत मुख्य मार्गो के किनारे एल0ई0डी0 स्क्रीन स्थापित कर विज्ञापन शुल्क वसूली।	दि0 22/08/25 को 11:00 AM से दि0 6/09/25 को 01:00 PM तक	दि0 6/9/25 को 03:00 PM	कक्ष सं0 12

उपरोक्त ई–निविदा http://www.uktenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। निविदा की नियम व शर्तें नगर निगम की बेबसाइट www.haldwaninagarnigam.in पर भी देखी जा सकती है।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

महापौर
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित :– 4 दैनिक जागरण

1. सम्पादक दैनिक Times of India Delhi NCR Edition को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त ई–निविदा को न्यूनतम निर्धारित दरों में अधिकतम 40 वर्ग सेमी0 पठनीय स्पेस में में प्रकाशित कर भुगतान हेतु संस्करण की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. प्रांजलि वैंचर्स को इस आशय से प्रेषित की वे उपरोक्त निविदा सूचना नगर निगम वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, कार्यालय तहसीलदार हल्द्वानी, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
4. कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डिजिटल स्क्रीन स्थापित कर विज्ञापन शुल्क हेतु ई–निविदा (2025–2030) की शर्ते एवं प्रावधानः–

1. नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत चिन्हित स्थलों (सूची संलग्न) पर एल0ई0डी0 स्क्रीन स्थापित कर विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश में वर्णित तिथि से 05 (पॉच) वर्ष की अवधि तक के लिये मान्य होंगी।
2. प्रथम वर्ष में अधिकृत निविदादाता से 02 (दो) वर्ष के लिए अनुबंध गठित किया जायेगा तथा उसके पश्चात कार्य सन्तोषजनक होने पर 01–01 वर्ष की वृद्धि की जायेगी।
3. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित/संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे। यदि किसी प्रस्तावित चिन्हित स्थल पर अपरिहार्य कारणों से स्थान परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबंधकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
4. प्रत्येक डिजिटल स्क्रीन के लिए सूची के अनुसार संलग्न न्यूनतम निविदा राशि के अतिरिक्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।
5. प्रत्येक डिजिटल स्क्रीन हेतु पृथक–पृथक निविदा डाली जा सकती हैं। निविदादाता को प्रत्येक चिन्हित स्थल हेतु स्थल का नाम, रोड़ व निविदा शर्तों में दर्ज क्रम संख्या को स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक डिजिटल स्क्रीन अधिकतम 20×10 फीट तथा न्यूनतम 15×08 फीट आकार के लगाये जायेगें या चिन्हित स्थल के अनुसार कम किये जा सकते हैं। डिजिटल स्क्रीन सम्बंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बंध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
7. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। विद्युत बिलों एवं अन्य उपकरणों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।
8. ठेका धनराशि में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
9. डिजिटल स्क्रीन हेतु निविदा सरकारी ई–निविदा पोर्टल **www.uktenders.gov.in** पर ऑनलाईन जमा की जायेगी जो उसी दिन निविदा आवंटन समिति द्वारा दिनांक..........को अपराहन 03:00 बजे खोली जायेंगी। तकनीकी बिड की स्वप्रमाणित मूल प्रति/हार्ड कॉपी तददिनांक को ही निविदा खुलने के समय आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
10. तकनिकी निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर0 जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के नाम पर बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति, विगत 03 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न एवं विगत 03 वित्तीय वर्षों का औसतन रू0 70,00,000 (रू0 सत्तर लाख) प्रतिवर्ष का टर्न ओवर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में निविदादाता की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। प्रत्येक डिजिटल स्क्रीन हेतु अलग–अलग एफ0डी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य होगा,
11. किसी भी निविदादाता को नगर निगम का बकायेदार होने की दशा में तथा किसी भी संस्था द्वारा काली सूची में (ब्लैक लिस्ट) होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इच्छुक निविदादातां इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे।
12. यदि किसी निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार के गलत दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं या भविष्य में पाये जाते हैं, तो उक्त निविदादाता की निविदा निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि का 50 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति की तिथि से 05 दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

क्रमशः..........2

14. अनुबन्धकर्ता फर्म/ठेकेदार द्वारा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित 06 माह के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा।

15. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने की 07 (सात) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।

16. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि या उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और मा0 न्यायालय के आदेश पर कोई भी डिजिटल स्क्रीन हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में डिजिटल स्क्रीन को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

17. लोकसौहर्द, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में नगर आयुक्त, की राय में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई भी विद्युत विज्ञापन मध्य रात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।

18. अधिकृत फर्म/ठेकेदार को डिजिटल स्क्रीन में नगर निगम द्वारा निर्देशित मा0 न्यायालय/राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगर निगम की योजनाओं इत्यादि से सम्बन्धित विज्ञापनों के प्रदर्शन हेतु प्रत्येक 01 (एक) घण्टे के पश्चात 05 मिनट प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

19. उच्चतम निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में निविदा धनराशि न जमा कराये जाने या अनुबन्ध न कराये जाने पर जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं द्वितीय चयनित निविदादाता (H2) की निविदा को (H1) की प्रस्तावित निविदा धनराशि पर शेष समयावधि के लिए स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है।

20. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और माननीय न्यायालय के आदेश पर कोई भी पोल कियोस्क हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बंधित एजेन्सी को निर्धारित समय में पोल कियोस्क हटाना होगा।

21. शासन द्वारा भारित अन्य कर व जी0एस0टी0 आदि भी अधिकृत विज्ञापन एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा देय होंगे।

22. डिजिटल स्क्रीन इस प्रकार लगाने होंगे कि डिजिटल स्क्रीन ऑधी तूफान में भी पूर्णतः सुरक्षित रहें तथा यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो फिर भी यदि डिजिटल स्क्रीन के कारण कोई दुर्घटना होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

23. विज्ञापन पट्टों पर सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पाद एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जायेंगे।

24. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्रावधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी नैनीताल) के सम्मुख अपील की जा सकती है।

25. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आवंटन समिति नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम में निहित होगा तथा किसी भी वाद के लिए क्षेत्राधिकार जिला नैनीताल के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।

26. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

27. अधिकृत विज्ञापन एजेन्सी/ठेकेदार को समय–समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन/राज्य सरकार/माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

28. डिजिटल स्क्रीन लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कार्मिकों का नियमानुसार पी0एफ0, बीमा एवं सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था अधिकृत फर्म/ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

क्रमशः.........3

29. प्रत्येक डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित धातु (स्टील) के होगें।

30. अधिकृत फर्म/ठेकेदार का यह कर्तव्य व उत्तरदायित्व होगा कि वह डिजिटल स्क्रीन द्वारा घेरे गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

31. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन/विज्ञापन पट्टों की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

32. अधिकृत विज्ञापन एजेन्सी/ठेकेदार का कार्य ठेका अवधि में पूर्णतया सन्तोषजनक होने या कतिपय परिस्थितिवश जब तक पुनः निविदा न हो जाय तो ऐसी स्थिति में स्वीकृत फर्म को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर विचार किया जा सकता है जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

33. अधिकृत फर्म/ठेकेदार को अपना स्थायी/अस्थायी पता व मोबाईल/ई–मेल जिस पर उससे सम्पर्क किया जा सके देना अनिवार्य होगा तथा इनमें परिर्वतन किये जाने की दशा में तत्काल नगर निगम कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा। अधिकृत फर्म/ठेकेदार को मोबाईल पर दी गयी सूचना नोटिस की भांति ही समझी जायेगी।

एल0ई0डी0 स्क्रीन स्थापित किये जाने हेतु चिन्हित स्थल :–

क्र0सं0	एल0ई0डी0 स्क्रीन स्थापित किये जाने हेतु चिन्हित स्थल		संख्या	प्रस्तावित धनराशि प्रति वर्ष
01	मंगल पडाव, नगर निगम के अस्थायी शॉपिंग कॉम्पलैक्स से संलग्न।	नैनीताल रोड़	01	10,00,000/-
02	रोडवेज बस स्टेशन के गेट से संलग्न	नैनीताल रोड़	01	10,00,000/
03	तिकोनिया पार्क	नैनीताल रोड	01	10,00,000/
04	नगर निगम पैट्रोल पम्प से संलग्न ई0ओ0 आवास के बाहर	नैनीताल रोड	01	10,00,000/
05	कालटैक्स म्यूरल पर	नैनीताल रोड	01	10,00,000/
06	जेल रोड़ चौराहा के सामने नगर निगम दुकानों से संलग्न	कालाढूंगी रोड़	01	10,00,000/
07	पशु अस्पताल के सामने नगर निगम दुकानों से संलग्न	कालाढूंगी रोड	01	10,00,000/
08	लालडांठ पुलिया	कालाढूंगी रोड़	01	10,00,000/
09	जोनल ऑफिस नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम	कालाढूंगी रोड़	01	10,00,000/
10	कुसुमखेड़ा चौराहा	कालाढूंगी रोड़	01	10,00,000/
11	कठघरिया चौराहा	कालाढूंगी रोड़	01	10,00,000/
12	ट्रांसपोर्ट नगर की दीवार से संलग्न	रामपुर रोड़	01	10,00,000/

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि –

(क) ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा की शर्तें अनुबन्ध का भाग होंगी, तथा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में रू0 5,000/–, दूसरी बार में रू0 10,000/– जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

क्रमशः.........................4

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनीतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

मार्केटिंग लिपिक
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

कर निरीक्षक
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

कर अधीक्षक
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

नोडल मार्केटिंग अनुभाग
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

महापौर
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।